कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
विज्ञापन संख्या– 01/2016.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 74096–74132/A.D (Misc.) Section दिनांक 23.12. 2015 एवं पत्रांक 3967–4003/A.D (Misc.) Section दिनांक 19.01.2016 के निर्देशानुसार जिला व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा में कार्यालय परिचारी/आदेशपाल के चतुर्थवर्गीय पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और बिना किसी पूर्व सूचना नियुक्ति रद्द की जा सकती है। चतुर्थवर्गीय पदों की रिक्तियों, जो घट/बढ़ सकती है, जो निम्न प्रकार है–

कम सं	पद का नाम	संभावित रिक्तियाँ	वेतनमान
1	कार्यालय परिचारी/आदेशपाल	36	1मैट्रिक पास अभ्यर्थी के लिए पी0बी0 1 (5200–20200) ग्रेड पे रू0 1800/– एवं अनुमान्य भत्ते 2ननमैट्रिक अभ्यर्थी के लिए 1एस0 (4440–7440) ग्रेड पे रू0 1650/– एवं अनुमान्य भत्ते

1. **शैक्षणिक एवं आवश्यक योग्यताएं :–** आवेदकों को साक्षर होना चाहिए तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ने, लिखने की जानकारी होनी चाहिए। आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हो तथा पुरूष अभ्यर्थियों को साईकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए।

3. **पदों की संख्या : 36 पद कार्यालय परिचारी/आदेशपाल (सामान्य वर्ग–18, पिछड़ा वर्ग–04, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–07 तथा अनुसूचित जाति–06 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला–01)**

आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं रोस्टर के अनुसार है।

उम्र– दिनांक 01.01.2016 को आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकत्तम उम्र–

(1) सामान्य वर्ग के लिए – 37 वर्ष
(2) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष
(3) अनारक्षित वर्ग की महिला– 40 वर्ष
(4) अनुसूचित जाति/जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
विकलांगों के लिए 10 वर्ष आयु में छुट है।
(विकलांग उम्मीदवारों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे, उनका सामंजन उसी कोटा के विरूद्ध होगा।)
(5) उपरोक्त चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ (वर्ग तृतीय एवं वर्ग चतुर्थ) नियम, 2009 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समय–समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में की जाएगी।
(6) अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब वह आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपने आरक्षण का दावा करेगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को ही मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।
(7)आवेदन पत्र सादे कागज पर विहित प्रपत्र में आवेदक द्वारा अपने हस्तलिपी में भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची

1. दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ – राजपत्रित पदाधिकारी या नोटरी पब्लिक से अभिप्रमाणित एक आवेदन पत्र (प्रपत्र –1 पर) तथा दूसरा प्रवेश पत्र (प्रपत्र –2 पर) चिपका कर भेजें।
2. जन्म तिथिं प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
3. दो स्वपता लिखित लिफाफा (9"x4"), पावती सहित जिस पर रजिस्ट्री डाक एवं पावती के लिए 40/–रू0 मूल्य का डाक टिकट लगा हो।
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
5 जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आरक्षित उम्मीदवार सलग्न करें।

17.5.16

6. आवेदक को जिला नियोजनालय में पंजीकृत होना वांछनीय/वैकल्पिक है। इसकी छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें, यदि हो तो।

7. पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/अन्य पहचान पत्र की छायाप्रतिं।

आवेदन की प्रकियाः– उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र इस अधिसूचना में संलग्न प्रारूप में हिन्दी में प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र अच्छी गुणवता वाले ए–4 साईज के बान्ड सफेद पेपर पर केवल एक तरफ प्रयोग करते हुए होना चाहिए। समाचार पत्र की कटिंग का प्रयोग आवेदन पत्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। वैसे आवेदन पत्र जिसके प्रारूप में कोई परिवर्तन हो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को हिन्दी में अपनी लिखावट में भरना चाहिए तथा इसके लिए केवल निली या काली बॉल प्वाईट पेन का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र पर्याप्त समय लेकर भरना चाहिए ताकि अंतिम तिथि को या इससे पहले इस कार्यालय में आवेदन पत्र पहुँच जाए। यह कार्यालय किसी डाक विलम्ब अथवा आवेदनों की गलत सपुर्दगी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवार को आवेदन पत्र के नीचे दिए गए स्थान पर आवेदन भरने की तिथि व स्थान का उल्लेख करना चाहिए और हस्ताक्षर करना चाहिए। आवेदक का हस्ताक्षर विशिष्टि होना चाहिए ताकि उसकी नकल आसानी से नहीं की जा सके। बड़े अक्षर एवं खुले अक्षरों में हस्ताक्षर मान्य नहीं होगे और इस प्रकार के हस्ताक्षर वाले या बिना हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। बिना तिथि के या अधिसूचना जारी होने से पूर्व की तिथि के आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आवेदन पत्र भेजना है एक से अधिक आवेदन भेजने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि ऐसा कोई उम्मीदवार अनजाने में चयनित हो जाता है और बाद में यह पता चलता है कि उसने एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किया है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

आवेदन किसे करें– अपेक्षित दस्तावेजों के साथ दिए गए प्रारूप में स्वलिखित एवं भरे हुए आवेदन पत्र केवल निबंधित/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा पोस्ट– शेखपुरा, जिला– शेखपुरा, पिन कोड– 811105 को दिनांक 25.06.2016 के अपराह्न 5:30 बजे तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए। अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर, चाहे जो भी कारण हो, विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र वाले लिफाफा के उपर **विज्ञापन सख्या एवं आवेदित पद** का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।

चयन की प्रकिया– अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर ही किया जाएगा। साक्षात्कार/जांच की तिथि व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा के अधिकारिक बेवसाईट एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र बाद में निर्गत किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जानेवाली दस्तावेजों की सूची :–

1. सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं उम्र का मूल प्रमाण पत्र।
2. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र वैसे उम्मीदवार जो आरक्षण कोटि में आते हैं एवं आरक्षण का दावा करते हैं।
3. नियोजनालय में पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र, यदि हो तो।
4. पहचान पत्र की मूल प्रति।
5 निवास प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

नोटः– भविष्य में यदि उक्त अधिसूचना का शुद्धि पत्र या संलग्नक प्रकाशित किया जाता है तो वो भी इस अधिसूचना का भाग होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा पोस्ट–
शेखपुरा, जिला– शेखपुरा, पिन कोड–811105
बेवसाईटः– ecourts.gov.in/sheikhpura

17.5.16